

**कार्यालय कलेक्टर जिला - कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप राक्षिब,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

-:: प्रारंभिक अधिसूचना ::-

दिनांक 09/01/2023

क्रमांक 248

होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन :-

1. जिला : कोरबा
2. तहसील : कटघोरा
3. ग्राम/नगर : झोरा
4. भूमि का क्षेत्रफल: 1.890 हे.

अनुसूची

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
19/1	0.040	164/1	0.032
19/2	0.040	164/2	0.036
142/33	0.024	180	0.106
102/2	0.061	197/2	0.065
101/4			
103/1	0.016	198/1	0.036
104/1			
103/2	0.016	198/2	0.077
104/2			
103/3	0.016	198/3	0.032
104/3			
103/4	0.016	198/4	0.036
104/4			
103/5	0.008	199/2	0.016
104/5			
105	0.008	200	0.012
107/1	0.061	202/1	0.044
		182/1	0.032
107/2	0.061	202/2	0.032
		182/2	0.020

107/3	0.061	202/3	0.028
110	0.121	182/3	0.036
111/1	0.057	202/4	0.024
142/6/छ	0.202	182/4	0.036
204/1	0.028	181	0.016
142/1 मे से	0.040	142/1 मे से	0.012
142/15	0.061	142/1 मे से	0.121
142/1 मे से	0.040	142/1 मे से	0.040
		142/6 मे से	0.024
योग :- 39	1.890		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)


(अजीत वसंत)
कलेक्टर, कोरबा
एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


अनुविभागीय अधिकारी
बेड निरीक्षण विभाग सेतु निमा
ज. कल्याण कोरबा (छ. ग.)